**अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2019 (RCMS 2019/00204) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ नं. 41F/577990) बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर**

**10.02.2020**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 03(तीन) बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, हजार्ना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

**मैनें पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2019 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 04.06.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति की दिनांक व पत्र प्राप्ति का कमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. श्री महेन्द्र छाबडा द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प विकय रजिस्टर जिस दिवस आपके कार्यालय में जमा करवाया है उस दिवस की सूचना व जमा करवाने के दस्तावेज/कार्यालय रिकार्ड की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा कराने की स्थिति में नया रजिस्टर जिस नियम की जिस अधिनियम के जिस दिवस जिस अधिकारी के आदेश से जिस कर्मकार द्वारा जारी किया गया उस दिवस अधिनियम व अधिकारी का व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना प्रमाणित प्रति।

**पत्रावली के अवलोकन से यह** पाया कि जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 79 दिनांक 29.07.2019 से नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर को सूचना भिजवाई गई है जिस पर लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 674 दिनांक 02.08.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचनाएं दी है :

| क्र. सं. | बिन्दु | जवाब |
|---|---|---|
| 1. | प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 04.06.19 आपके कार्यालय में पहुचने की तारीख व पत्र प्राप्ति की दिनांक व पत्र प्राप्ति का क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति। | प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2019 इस कार्यालय में दिनांक 04.06. 2019 को प्राप्त हुआ हैं |
| 2. | श्री महेन्द्र छाबडा द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जिस दिवस आपके कार्यालय में जमा करवाया है उस दिवस की सूचना व जमा करवाने के दस्तावेज/ कार्यालय रिकार्ड की प्रमाणित प्रति। | इस तरह का कोई रिकार्ड इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। |
| 3. | स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा कराने की स्थिति में नया रजिस्टर जिस नियम की जिस अधिनियम के जिस दिवस जिस अधिकारी के आदेश से जिस कर्मकार द्वारा जारी किया गया उस दिवस अधिनियम व अधिकारी का व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना प्रमाणित प्रति। | इस तरह का कोई रिकार्ड इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। |

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**सूचना का अधिकार अधिनियम** 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो **निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

**अतः उक्तानुसार अपीलार्थी** की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(शिवप्रसाद एम. नकाते)**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर